भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1910
दिनांक 06.12.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

विदेश में भारतीय श्रमिकों के लिए कल्याण कार्यक्रम

1910. श्री विष्णु दयाल रामः
क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) विदेशों में भारतीय श्रमिकों के लिए उपलब्ध कल्याण कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन कार्यक्रमों के लिए वर्ष–वार कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ग) ऐसे श्रमिकों की संख्या कितनी है जिन्होंने इस तरह के लाभ प्राप्त करने के प्रयास किए हैं और उन लोगों की संख्या कितनी है जिन्होंने उन्हें प्राप्त किया है और इनके देशों के नाम क्या–क्या हैं;

(घ) क्या भारतीय श्रमिकों की उच्च मांग वाले देशों में इन कार्यक्रमों का विस्तार करने की योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
(श्री कीर्ति वर्धन सिंह)
(क) से (ङ) भारत सरकार द्वारा विदेशों में भारतीय कामगारों का कल्याण एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रवासी भारतीय बीमा योजना (पीबीबीवाई) और प्रस्थान पूर्व अभिमुखीकरण एवं प्रशिक्षण (पीडीओटी) जैसे कई उपाय और कदम उठाए गए हैं। प्रवासी भारतीय बीमा योजना (पीबीबीवाई) एक अनिवार्य बीमा योजना है जिसका उद्देश्य 18 ईसीआर देशों में रोजगार के लिए जाने वाले ईसीआर श्रेणी के भारतीय प्रवासी कामगारों के हितों की रक्षा करना है। यह योजना दो वर्ष की वैधता के लिए 275 रुपये अथवा तीन वर्ष की वैधता के लिए 375 रुपये के मामूली बीमा प्रीमियम पर आकस्मिक मृत्यु या स्थायी विकलांगता के कारण नौकरी छूटने की स्थिति में 10 लाख रुपये का बीमा कवर और अन्य लाभ प्रदान करती है। प्रस्थान पूर्व अभिमुखीकरण एवं प्रशिक्षण, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी), राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के सहयोग से विदेश मंत्रालय (एमईए) द्वारा प्रदान किया जाने वाला सॉफ्ट स्किल पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम है।

विदेशों में स्थित हमारे मिशन/केंद्र भी संकटग्रस्त भारतीय प्रवासियों को साधन–परीक्षण के आधार पर निम्नलिखित सेवाएं/सहायता प्रदान करने के लिए भारतीय सामुदायिक कल्याण कोष (आईसीडब्ल्यूएफ) का उपयोग करते हैं:
(क) पार्थिव अवशेषों को भारत लाना या परिवार की सहमति से दाह संस्कार करना;
(ख) आपातकालीन चिकित्सा देखभाल;
(ग) कानूनी सहायता;
(घ) भोजन एवं आवास; और
(ङ) फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए हवाई यात्रा व्यवस्था।

सरकार ने विदेश में भारतीय कामगारों को किसी भी तरह की सहायता की आवश्यकता होने पर संपर्क व्यवस्था के लिए विभिन्न तंत्र स्थापित किए हैं। कामगार विभिन्न माध्यमों जैसे वॉक–इन, ईमेल, बहुभाषी 24x7 आपातकालीन

नंबर, शिकायत निवारण पोर्टल जैसे मदद, सीपीग्राम्स, ई–माइग्रेट और सोशल मीडिया आदि के माध्यम से मिशनों/केंद्रों से संपर्क कर सकते हैं।

ई–माइग्रेट एक व्यापक प्रणाली है जिसे विदेशों में भारतीय कामगारों के सुरक्षित एवं वैध प्रवास की सुविधा के लिए विकसित किया गया है। यह पहल प्रवास प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने और विभिन्न शिकायतों को दूर करने के लिए की गई थी।

संकटग्रस्त भारतीय कामगारों को सहायता, मार्गदर्शन और परामर्श प्रदान करने के लिए नई दिल्ली और दुबई (यूएई), रियाद और जेद्दा (सऊदी अरब अधिराज्य) और कुआलालंपुर (मलेशिया) में प्रवासी भारतीय सहायता केंद्र (पीबीएसके) स्थापित किए गए हैं।

विदेश स्थित भारतीय मिशनों/केंद्रों ने भी टोल फ्री हेल्पलाइन, व्हाट्सएप नंबरों सहित 24X7 हेल्पलाइनें स्थापित की हैं तथा मोबाइल ऐप भी लांच किए हैं, ताकि भारतीय नागरिक संकट या आपातकालीन स्थिति में संबंधित भारतीय मिशनों/केंद्रों से संपर्क कर सकें।

इन व्यवस्थाओं के अतिरिक्त, मौजूदा अंतर–सरकारी श्रमिक प्रवासन करार भारतीय प्रवासी कार्यबल के अधिकांश गंतव्य देशों के साथ कार्यान्वयन में हैं और श्रम एवं जनशक्ति से जुड़े मुद्दों पर सहयोग के लिए व्यापक रूपरेखा प्रदान करते हैं। इन करारों में एक संयुक्त कार्य समूह के माध्यम से कार्यान्वयन का प्रावधान है, जहाँ समय–समय पर बैठकों के दौरान कामगारों के मुद्दों पर चर्चा की जाती है।

भारतीय सामुदायिक कल्याण कोष की निधि का स्रोत भारतीय मिशनों/केंद्रों में कोंसली सेवाओं पर लगाया जाने वाला शुल्क है। प्रवासी भारतीय बीमा योजना (पीबीबीवाई) एक बीमा योजना है जो भारत से बाहर जाने वाले सभी भारतीय कामगारों के लिए उपलब्ध है, जिसके लिए प्रीमियम के रूप में बीमा कंपनियों को मामूली भुगतान करना होता है। पीडीओटी को हर वर्ष विदेश मंत्रालय के बजट से निधि आवंटित की जाती है। पिछले तीन वर्षों में आईसीडब्ल्यूएफ, पीबीबीवाई, ई–माइग्रेट, पीडीओटी के तहत लाभार्थियों की संख्या और पीडीओटी को बजटीय आवंटन अनुबंध–। में दिया गया है।

अनुबंध–।

पिछले तीन वर्षों में विदेशों में भारतीय कामगारों के कल्याण के उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों की संख्या और आवंटित राशि से संबंधित आंकड़े

पीडीओटी:

	2022	2023	2024
आवंटित बजट राशि	3 करोड़ रुपये मात्र (वित्त वर्ष 2022–23)	1.20 करोड़ रुपये मात्र (वित्त वर्ष 2023–24)	1 करोड़ रुपये मात्र (वित्त वर्ष 2024–25)
लाभार्थियों की संख्या	15286	13286	20012 (31.10.24 तक)

ई–माइग्रेट:

पिछले तीन वर्षों के दौरान ई–माइग्रेट पोर्टल के माध्यम से विदेशों में रोजगार के लिए 18 अधिसूचित ईसीआर श्रेणी के देशों में जाने वाले भारतीय कामगारों के प्रवासन संबंधी आंकड़े निम्नानुसार हैं:

वर्ष	प्रदान की गई उत्प्रवास स्वीकृतियों की संख्या
2022	3,73,425
2023	3,98,317
2024 (19 नवंबर तक)	3,48,629

	पिछले तीन वर्षों में लाभार्थियों की संख्या		
योजना का नाम	2022	2023	2024
भारतीय सामुदायिक कल्याण कोष	25725	18960	6993 (सितंबर 2024 तक)
प्रवासी भारतीय बीमा योजना	422650	300233	239717 (सितंबर 2024 तक)

*****